भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 4298

गुरुवार, 18 जुलाई, 2019/27 आषाढ़, 1941 (शक)

वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली

4298. श्री एस॰ ज्ञानतिरावियमः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में विद्यमान वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली त्रुटिरहित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग): माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (ग) संख्या 1985 की 13029 (एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ) में पारित अपने आदेश, दिनांकित 10.08.2017 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) केंद्रों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, भारत सरकार ने पीयूसी केंद्रों के उचित परिचालन के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उल्लिखित है कि जांच किए जाने से पूर्व पीयूसी फीस के पूर्व भुगतान को अनिवार्य करने और गैर-अनुपालन एवं भ्रष्टाचार के लिए पीयूसी केंद्रों हेतु कड़ी शास्ति लगाए जाने तथा अनुपालन न करने वाले पीयूसी केंद्रों की प्राधिकृति को रद्द किए जाने के लिए पीयूसी मशीनों की जांच राज्य परिवहन विभाग द्वारा विधिवत प्राधिकृत तीसरे पक्ष की एजेंसियों द्वारा नियमित अवधि में की जानी चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पीयूसी आंकड़ों को वाहन डाटा बेस के साथ जोड़े जाने के संबंध में सा.का.नि. 527 (अ), दिनांकित 06.06.2018 को भी अधिसूचित किया है और उत्सर्जन जांच संबंधी आंकड़ों को वाहन डाटा बेस में इलेक्ट्रानिक रूप से अपलोड करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

*****